जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

क्र./ले.नि./वित्त/23–24/ दिनांक / /2023

– अधिसूचना –

प्रशासनिक परिषद् की 193वीं बैठक के पद क्रमांक–18 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में म.प्र. शासन के वित्त विभाग के आदेश क्रमांकःएफ 11–6/2010/नियम/चार, भोपाल दिनांक 10 जुलाई , 2018 के अनुसार शासकीय सेवाओं को विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के प्रावधानों के तहत मान. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शासन के द्वारा/विरूद्ध दायर याचिकाओं/पर उक्त नियमावली में वर्णित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उक्त अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन हेतु म.प्र. शासन के वित्त विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारियों को निम्न लिखित दरों पर मानदेय स्वीकृत करने के आदेश का विश्वविद्यालय में भी अंगीकृत किया जाता हैः–

स.क्र.	विवरण	मानदेय की दर (प्रति प्रकरण)
1.	उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	1500/–
2.	उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	2500/–

2. उक्त मानदेय निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन देय होगा–

2.1 यह मानदेय उसी अधिकारी को देय होगा, जिसके द्वारा यह कार्य अपने चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है।

2.2 उक्त मानदेय भुगतान की पात्रता प्रकरण के प्रारंभ से लेकर निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श तक के लिए होगी। उक्त प्रक्रिया के मध्य प्रभारी अधिकारी के बदलने पर मानदेय प्रकरण के स्टेज के आधार पर निम्नानुसार देय होगाः–

स.क्र.	विवरण	मानदेय की दर (प्रति प्रकरण)
1.	जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही तक	50 प्रतिशत
2.	जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय तक	30 प्रतिशत
3.	निर्णय उपरांत की कार्यवाही के लिए	20 प्रतिशत

2.3 ऐसे प्रकरणों, जो विषयवस्तु में समान हैं, तथा जिनके लिए एक ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को अधिकतम दो प्रकरणों के लिए मानदेय देय होगा।

2.4 किसी भी प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार देय मानदेय की अधिकतम प्रतिमाह सीमा रू. 15,000/– होगी।

2.5 अवमानना प्रकरणों में नियुक्त संपर्क अधिकारी को भी उपरोक्तानुसार प्रभारी अधिकारी के सदृश मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

2.6 उक्त मानदेय संबंधित शासकीय सेवक के वेतन मद में विकलनीय होगा।

2.7 यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

Sd/–

लेखानियंत्रक

निरंतर.....पृ.–2

पृ. क्र./ले.नि./वित्त/23–24/205 दिनांक 26/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
2. समस्त अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय/कृषि अभियांत्रिकी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर।
4. समस्त संचालक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
6. समस्त सह संचालक अनुसंधान/वरिष्ठ वैज्ञानिक/वैज्ञानिक/प्रभारी, कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र,
7. समस्त प्रशिक्षण आयोजक/प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र,
8. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
9. प्रभारी ग्रंथालय/संचार केन्द्र/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
10. सहायक कुलसचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
11. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
12. कुलपति/कुलसचिव/लेखानियंत्रक के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

लेखानियंत्रक